

22/01/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अर्थात्
 प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया
 कि ग्राम लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी के
 खसरा संख्या 64/12 में प्रार्थीगण के
 दादा प्रभुराम पुत्र श्री करणाराम जाते
 मेघवाल के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश
 प्रभुराम पुत्र करणाराम जाते - जाट
 दर्ज हो गया। लिपिकीय त्रुटि से पूर्व उक्त
 नाम जमाबंदी संवत् 2039-2042 तक सही
 दर्ज था। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में
 बताया कि प्रार्थीगण के दादा की जाति
 मेघवाल है न कि जाट। प्रार्थीगण अधिवक्ता
 ने निवेदन किया कि लिपिकीय त्रुटि में सुधार
 करवा कर जाते जाट के स्थान पर मेघवाल
 करवाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार
 बावड़ी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट, पत्रावली में
 संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
 आदेश अवलोकन एवं मनन प्रार्थीगण के प्रार्थना-
 पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बावड़ी
 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार एवं
 दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के दादा
 की खातेदारी ग्राम में प्रभुराम पुत्र श्री करणाराम
 के स्थान पर प्रभुराम पुत्र श्री करणाराम
 जाते मेघवाल दर्ज करने का आदेश
 तहसीलदार बावड़ी को किया जाता है। तहसीलदार
 बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट इस
 आदेश का भाग रहेगी। इस आदेश की
 तहरीर तहसीलदार बावड़ी को जारी है।
 पत्रावली फाइल नुमांश होकर नम्बर से
 कम होकर दाखिल फाइल है।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपाय अधिकारी, बावड़ी